लैंगिक न्याय और समानता के लिए वंचित समुदायों की महिला आइकन और लीडर नेता के लिए साझा पहल

अंकुरण कार्यक्रम

घरेलू हिंसा चार प्रकार की होती है

शारीरिक हिंसा

1- किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना जैसे मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, लात घूसा मारना, किसी वस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके महिला को शारीरिक पीड़ा देना शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है.

यौनिक या लैंगिक हिंसा

2- महिला का अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना इसके अंतर्गत आता है.

मौखिक और भावनात्मक हिंसा

3- किसी महिला या लड़की को किसी भी वजह से उसे अपमानित करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण लगाना, शादी मर्जी के खिलाप करना आत्महत्या की धमकी देना मौखिक दुर्व्यवहार करना.

आर्थिक हिंसा

4- बच्चों की पढ़ाई, खाना, कपड़ा आदि के लिए धन न उपलब्ध कराना, रोजगार चलाने से रोकना, महिला द्वारा कमाए जा रहे धन का हिसाब उसकी मर्जी के खिलाफ लेना.

भारतीय प्रतिष्ठान
NATIONAL FOUNDATION FOR INDIA

सत्यकाम जन कल्याण समिति (SJKS) छिन्दवाड़ा, म.प्र.
नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया (एन.एफ.आई.)
Contact : Sai Kripa Colony, Ranikamath, Guraiya,
Ward No.48, Chhindwara (M.P.) 480001 India
E-Mail : shabanaazami1982@gmail.com

SATYAKAM JANKALYAN SAMITI
S.J.K.S.

www.sjksmpindia.com
Instagam - shabanaazami2
Twitter - @Jansatyakam
Facebook -https://www.facebook.com/profile.php?id

Chhindwara Flex- 9977835747